न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—201 / 2025

प्रार्थीः—

बाबूसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी हरमलपुरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगणः:—

1. असरफ खां पुत्र समसू खां जाति मुसलमान निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. जफर खां पुत्रद कमरू खां जाति मुसलमान निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. बलूराम पुत्र जगरूपजी जाति रबारी निवासी कुसीप निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. मांगू खां पुत्र समसू खां जाति मुसलमान निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. मिसरू खां पुत्र समसूखां जाति मुसलमान निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. याकुब खां पुत्र कमरू खां जाति मुसलमान निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री गणपतसिंह गोलिया अधिवक्ता प्रार्थी

2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

::आदेश::

दिनांकः— 20.05.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 0.7129 हैक्टेयर भूमि ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की बदिशा पूर्व से लगती विप्रार्थी सं. 1 से 6 की खातेदारी भूमि ख.स. 39 रकबा 1.0256 आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया विप्रार्थी सं. 1 से 6 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 6 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 6 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 6 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित पदों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु प्रार्थी के खातेदारी खेत के बदिशा पूर्व में स्थित विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खातेदारी भूमि में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग लाल बिन्दू संख्या ए से बी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे, प्रार्थी उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 6 को देने हेतु सहमत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख) के बिन्दू (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जा सकता है। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन का इकलौता स्त्रोत है तथा उक्त रास्ता समस्त विकल्पों मे से निकटतम है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पिोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 41 रकबा 0.7129 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 6 खातेदारी भूमि खं.सं. 39 रकबा 1.0256 हैक्टेयर में से 130 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौडाई अर्थात 0.0520 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 6 को दी जावे ,विप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा उक्त राशि लेने से इन्कार की स्थिति में उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक– राजस्व/2026/609 दिनांक 11.05.2026 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

राजस्थान सरकार | **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) | दिनांक : 27/04/2026 12:53:37 PM

जिला : बालोतरा | तहसील : सिवाना | भू. अ. नि. क्षेत्र : थापन

पटवारी हल्का : कुसीप | ग्राम : हरमलपुरा

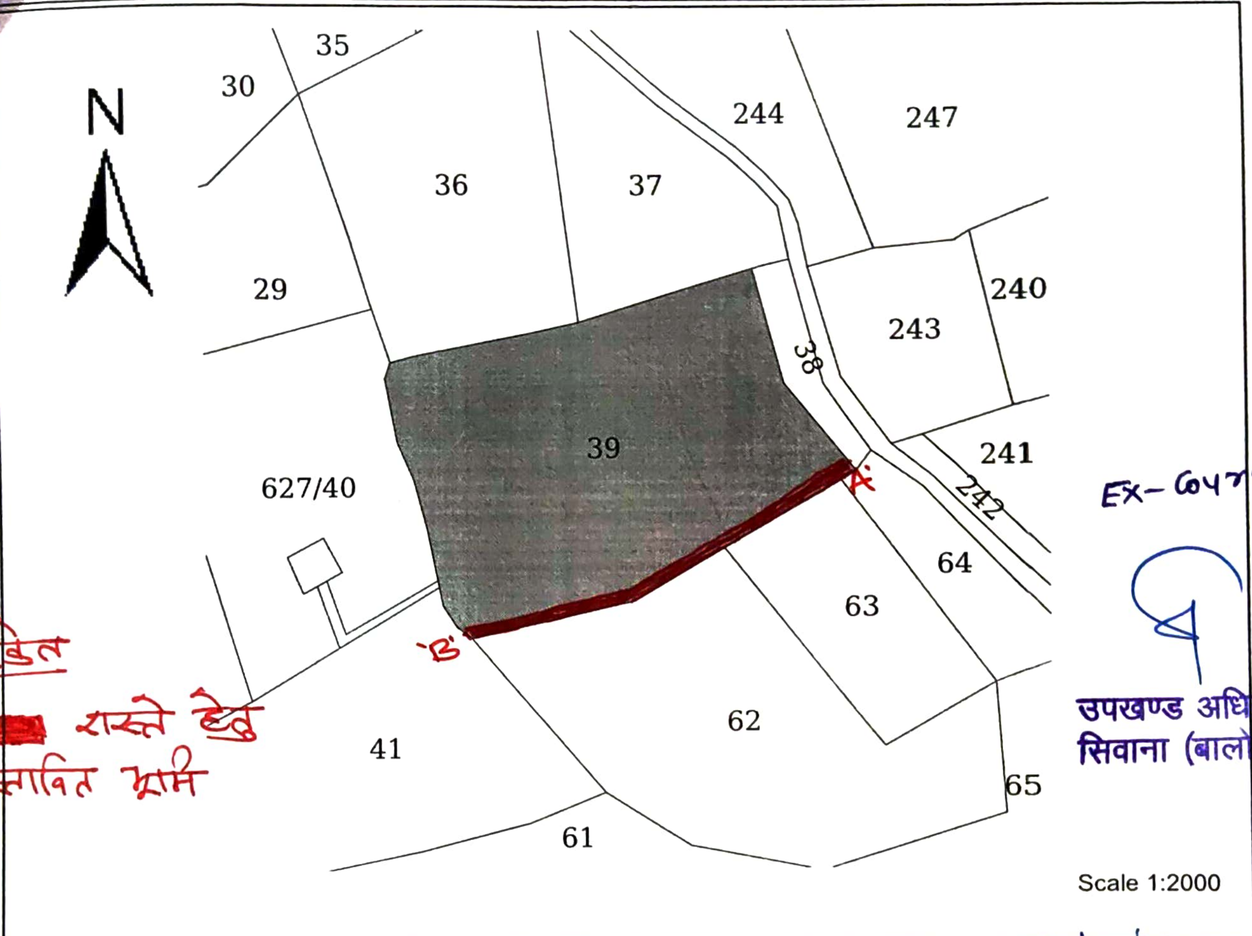

संकेत
रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि

Ex-Gov't

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

खसरा संख्या :39 क्षेत्रफल : 1.0256 Hectare खाता संख्या : 23पुराना खाता संख्या :13

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: रेतीली [1.0256, 2.05]

ILR थापन

1.) असरफ खां पुत्र समसुखां हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. सिवाना खातेदार
2.) जाफरखां पुत्र कमरूखां हिस्सा- 1/24 जाति- मुसलमान सा. सिवाना खातेदार
3.) बलूराम पुत्र जगरूपजी हिस्सा- 2/3 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
4.) मागूखां पुत्र समसुखां हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. सिवाना खातेदार
5.) मिसरूखां पुत्र समसुखां हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. सिवाना खातेदार
6.) याकुबखां पुत्र कमरूखां हिस्सा- 1/24 जाति- मुसलमान सा. सिवाना खातेदार

पटवारी (भू.अ.) कुसीप

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील